न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 02/2016 **G.C.M.S. No.** 2016/00073 दर्ज दिनांक : 06.01.2016

अपीलार्थिगण:

1. रणछोड़राम पुत्र जोमाराम पुरोहित, जाति पुरोहित, आयु वयस्क, निवासी मंडार, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।
2. प्रवीणकुमार पुत्र श्री दरगाराम पुरोहित, जाति पुरोहित, आयु वयस्क, निवासी मंडार, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेवदर जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.12.2015 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रेवदर, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 68/2012 बअनवान रणछोड़राम वगैरह बनाम राजस्थान राज्य।

उपस्थित–

1. श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, श्री कुणाल कुमार, श्री जितेन्द्र सिंह राठौड़, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. राजकीय पैरोकार, विद्वान ए.पी.पी. रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 29.11.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.12.2015 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रेवदर, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 68/2012 बअनवान रणछोड़राम वगैरह बनाम राजस्थान राज्य के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

अपीलांट के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि काश्त की कृषि आराजी मौजा मंडार तहसील रेवदर के खसरा संख्या 1652, 1564 एवं 1563/3277 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा है। उक्त आराजी पर आने जाने हेतु सरकार बिलानाम भूमि खसरा संख्या 1563 में से रास्ता चाहा गया। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कोई गौर ही नहीं किया गया है कि मौके पर कोई नाला नहीं है तथा अपीलांट की आराजी पर आने–जाने हेतु एक मात्र रास्ता उक्त खसरा संख्या 1563 की भूमि में से है, तथा इस खसरा की भूमि में से ही रास्ता दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट वर्तमान में खसरा संख्या 1563 की आराजी में स्थित रास्ते की भूमि में से आ जा रहे है। अपीलांट ने अपने हक में भूमि का आवंटन नहीं चाहा गया है तथा न ही उस भूमि पर किसी भी प्रकार का मालिकाना हक की मांग की गई है, मौके पर जिस स्थान पर रास्ता मौजुद है, वहां पर रास्ता चाहा गया है, उस पर मात्र केवल मात्र अपीलांट को आने–जाने का अधिकार

हेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत के दौरान बिना बहस सुने ही एक तरफा आदेश पारित किया है जबकि लोक अदालत में मेरिट पर कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। अतः अपील स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिलाए जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी ग्राम मंडार के खसरा संख्या 1562 व 1564 तक पहुंच के लिए बिलानाम भूमि खसरा संख्या 1563 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रदान करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
2. तहसीलदार रेवदर द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु वांछित भूमि खसरा संख्या 1563 राजकीय भूमि है, जिसकी किस्म गैरमुमकिन नाला है। जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती हैं तथा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय से बाधित है। अतः प्रकरण खारिज फरमावें।
3. पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी से भी यह पुष्टि होती है कि खसरा संख्या 1563 की किस्म गैरमुमकिन नाली दर्ज हैं।
4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.12.2015 द्वारा प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि राजकीय सिवायचक गैरमुमकिन नाला होने तथा प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आने के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया।
5. हमारा यह विनम्र मत है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी से लगती हुई भूमि राजकीय सिवायचक गैरमुमकिन नाला है, जिसमें से प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की मांग की गई हैं। धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत रास्ता प्रदान करने के लिए प्रथम आवश्यक शर्त रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता तथा वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना है। हस्तगत प्रकरण में यह साबित नहीं होता है कि प्रार्थी के लिए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता किस प्रकार है, क्योंकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगती सिवायचक भूमि कृषि प्रयोजनार्थ प्रार्थी के आवागमन के लिए सदैव खुली एवं उपलब्ध रहती हैं तथा उसमें से आवागमन से प्रार्थी सहित किसी भी आमजन को सरकार द्वारा कभी प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के लिए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव

राजस्व अपील अधिकारी

प्रथमदृष्टया सावित ही नहीं होता है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि गैर मुमकिन नाला किस्म की भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती हैं। जिसकी किस्म एवं वर्तमान स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत नहीं हैं। जोकि अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से भी प्रभावित एवं आच्छादित है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पूर्णतया विधिनुरूप एवं सुसंगत रूप से पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होती हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रेवदर के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 68/2012 बअनवान रणछोड़राम वगैरह बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 12.12.2015 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.11.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

29.11.2024

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली